प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....2022...............
2. प्र.इ.रि.सं..............294..../2022............. दिनांक 4/10/2022
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा – **7, 14...**
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....
   (III) * अधिनियम..............................–............................. धाराएं.....................–......................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....53.....समय.....................6:15 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– सोमवार **दिनांक 03.10.2022 वक्त 12:02 पी.एम**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....25.09.2022 वक्त 05:00 पी.एम..... ......
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दक्षिण–पश्चिम करीब 350 मीटर
   (ब) पता – एम.एन हॉस्पीटल के पास बीकानेर
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–...............................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री नूर मोहम्मद**
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री अल्लादिता
   (स) जन्म तिथि/आयु – 42 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – कृषि कार्य
   (ल) पता – **12 एच हिश्यामकी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. गोपालसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री केशरीसिंह निवासी मकान नम्बर ए–161 करणीनगर बीकानेर हाल उपनिवेशन पटवारी (सहायक ऑफिस कानूनगों) उपनिवेशन तहसील रामगढ–2 जिला जैसलमेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–...
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 25.09.2022 को परिवादी श्री नूरमोहम्मद स्वंय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष टाईपशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर विषय : रिश्वतखोर टीआर श्री गोपाल सिंह द्वारा 40000 रुपये रिश्वत मांगने पर एसीबी कार्यवाही करवाने के संबंध में। महोदय, मैं नूर मोहम्मद पुत्र अल्लादित्ता निवासी 12 एच, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूं। मेरे द्वारा महेंद्र सिंह पुत्र मोहर सिंह उर्फ राय सिंह निवासी सिद्धपुरघाड़ तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) से चक नंबर 8/10 टीएनडी, मुरब्बा नंबर 147/6 तहसील रामगढ–2, जिला जैसलमेर की 25 बीघा कमांड भूमि खरीदने का इकरारनामा दिनांक 19.10.2021 को किया था। यह भूमि श्री मोहर सिंह उर्फ राय सिंह पुत्र केहर सिंह निवासी सिद्धपुरधाड़ तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के नाम से थी जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा विरासतन इंतकाल हो चुका है तथा मोहर सिंह के सभी वारिसों ने महेंद्र सिंह को उक्त भूमि के लिए मुखत्यार आम बना रखा है। महेंद्र सिंह ने उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारी लेने के लिए मुझको ही जिम्मेदारी दे रखी है। इसके लिए मैं उपनिवेशन तहसील रामगढ–2, जैसलमेर में पटवारी कन्हैयालाल से दिनांक 21.09.2022 को मिला था। हलका पटवारी कन्हैयालाल ने मुझे महेंद्र सिंह व अन्य के नाम खातेदारी प्रस्ताव बनाकर बीकानेर उपनिवेशन विभाग में भिजवाने की सहमति दी थी परंतु उन्होंने मेरा काम

नहीं किया और कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट कर दी है अब आप टीआर श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित से मिल लो। मैं रामगढ–2, जैसलमेर में श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि यदि आपको महेंद्र सिंह व अन्य के खातेदारी हेतु प्रस्ताव भिजवाना है तो मेरे और बीकानेर उपनिवेशन कार्यालय के अधिकारियों के लिए 40000 रुपये खर्चे पानी के देने पड़ेंगे और मुझे यह 40000 रुपये बीकानेर में ही दिनांक 25.09.2022 को देने के लिए कहा था। मैं यह रिश्वत के 40000 रुपये टीआर श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित को नहीं देना चाहता हूं तथा उनके विरुद्ध एसीबी की कार्यवाही करवाना चाहता हूं। प्रार्थी नूर मोहम्मद पुत्र अल्लादित्ता निवासी 12 एच, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 25.09.2022

श्री रजनीश पूनियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे एक व्यक्ति से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए व्यक्ति का विवरण ब्यूरो का परिवादी श्री नूर मोहम्मद पुत्र अल्लादित्ता जाति मुसलमान, उम्र 42 वर्ष निवासी 12 एच, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर होना बताया। परिवादी श्री नूर मोहम्मद द्वारा श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई टाईपशुदा रिपोर्ट श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर निर्देशित किया। इस पर परिवादी श्री नूर मोहम्मद को हमराह लेकर मैं पुलिस निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन कर मजीद दरियाफ्त पर श्री नूर मोहम्मद ने बताया कि मैं गांव 12एच अनूपगढ में संविदा अध्यापक हूं। आपको दी गई रिपोर्ट मेरे द्वारा विश्वसनीय स्थान से टाईप करवाकर पढ ली गई है तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हमारे काम श्री महेंद्र सिंह व अन्य के पक्ष में खातेदारी अधिकार के प्रस्ताव भिजवाने के लिए टीआर श्री गोपाल सिंह द्वारा मुझे आज दिनाक 25.09.2022 को बीकानेर में 40000 रुपये रिश्वत सहित बुलाया हुआ था। मैं महेंद्र सिंह व अन्य के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रस्ताव जारी करवाने के जायज काम के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा टीआर श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित को रिश्वत प्राप्त करते हुए पकड़वाना चाहता हूं। श्री गोपाल सिंह के विरुद्ध मेरे द्वारा करवाई जाने वाले एसीबी कार्यवाही के संबंध में श्री महेंद्र सिंह से मैं आपको उचित अधिकार पत्र उपलब्ध करवा दूंगा। मेरी श्री गोपाल सिंह से कोई पुरानी शत्रुता नहीं है। हमारा किसी प्रकार का आपसी उधारी का लेनदेन भी नहीं है। रिपोर्ट परिवादी एवं मजीद दरियाफत से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आना पाये जाने से अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं आज दिनांक 25.09.2022 को श्री महेंद्र सिंह व अन्य के पक्ष में खातेदारी अधिकार के प्रस्ताव भिजवाने हेतु टीआर श्री गोपाल सिंह द्वारा की जा रही 40000 रुपये रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। इसके लिए मैं पहले गोपाल सिंह जी को कॉल करके बीकानेर में होने की बात बताउंगा व उनसे मिलने की भी बात करुंगा। इस पर श्री प्रेमाराम कानि. 218 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाया तथा तथ्यों से अवगत करवाया। तत्पश्चात् श्री प्रेमाराम कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर श्री प्रेमाराम कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाना से प्रापत कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री नूर मोहम्मद व श्री प्रेमाराम कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। वक्त 05:25 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार परिवादी के मोबाइल नंबर 9649912770 से आरोपी टीआर श्री गोपाल सिंह के मोबाइल नंबर 9929114228 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई तथा होने वाले वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य संपन्न वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी को श्रीगंगानगर चौराहे पर मिलने का कहा गया है। इस पर कार्यवाही का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रेमाराम कानि. को सुपुर्द कर व चालू करवाकर परिवादी नूर मोहम्मद के साथ श्रीगंगानगर चौराहे पर आरोपी से रुबरु वार्ता के लिए मोटरसाइकिल से ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया। वक्त 05:48 पी.एम. पर श्री प्रेमाराम कानि. मय परिवादी श्री नूर मोहम्मद ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आया। श्री प्रेमाराम कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैं व श्री प्रेमाराम कानि. ब्यूरो चौकी से रवाना होकर श्रीगंगानगर चौराहे पर पहुंचकर अलग अलग होकर खड़े हो गए थे, तो कुछ ही देर में आरोपी श्री गोपाल सिंह अपनी स्कूटी पर श्रीगंगानगर चौराहे पर मेरे पास आ गया। मैंने उनसे मेरे काम से संबंधित वार्ता प्रारंभ की तो टीआर श्री गोपाल सिंह ने जल्दबाजी में मुझे पूर्व में तय अनुसार रिश्वती राशि की व्यवस्था के संबंध में बात की थी, वार्ता में उन्होंने रुपये शब्द नहीं बोला, केवल व्यवस्था शब्द कहकर बात की और फिर कहा कि आप व्यवस्था कर लेना, मैं कहूं उसको पकड़ा देना, फिर यह भी कहा कि मैं यहां करणीनगर में ही रहता हूं, तू व्यवस्था करके आ जाना, बिना व्यवस्था चक्कर मत काटना। यह व्यवस्था शब्द 40000 रुपये रिश्वती राशि के संबंध में ही वार्ता थी।

(signature)

फिर टीआर श्री गोपाल सिंह जी मेरे पास व्यवस्था नहीं होने के कारण तुरंत ही चले गए। मेरे द्वारा गोपनीयता रखते हुए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रेमाराम कानि. को सुपुर्द कर दिया था। परिवादी के सामने रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताए गए उक्त तथ्यों की पुष्टि हुई परंतु आरोपी अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग का खुलासा नहीं हो पाया है, न ही परिवादी के द्वारा लंबित कार्य के संबंध में कोई वार्ता रिकॉर्ड होनी पाई गई है। परिवादी श्री नूर मोहम्मद को सत्यापन कार्यवाही के संबंध में पुनः अवगत करवाया गया तो बताया कि अब तो तत्काल वार्ता करने से आरोपी टीआर साहब मुझ पर शक करेंगे। मैं तीन चार दिन बाद टीआर साहब से दुबारा पूर्ण सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूं। परिवादी को उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के संबंध में अवगत करवाने पर जाहिर किया कि अब मुझे मेरे गांव जाना जरुरी है, मैं जब दुबारा सत्यापन कार्यवाही के लिए उपस्थित होउंगा तब मैं उक्त रिकॉर्ड वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट कार्यवाही करवा सकूंगा। तत्पश्चात 07:00 पी.एम पर परिवादी श्री नूर मोहम्मद को कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश प्रदान किए जाकर ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 01.10.2022 को परिवादी श्री नूर मोहम्मद से वार्ता हुई। परिवादी ने बताया कि मेरे काम के संबंध में आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित को देने के लिए मैंने 20000 रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ली है इसलिए मैं पुनः आरोपी से वार्ता करके रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूं। परिवादी को दिनांक 02.10.2022 को ब्यूरौ चौकी बीकानेर पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। दिनांक 02.10.2022 को 02:00 पी.एम पर परिवादी श्री नूर मोहम्मद पूर्व की वार्ता अनुसार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। परिवादी द्वारा पुनः मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि मैं आज ही आरोपी से उसके मोबाइल नंबर वार्ता करके उनके द्वारा मुझसे मांगी जा रही 40000 रुपये की रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। परिवादी द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को एक फोटोप्रति इकरारनामा श्री महेंद्र सिंह व नूर मुहम्मद के मध्य दिनांक 19.10.2021, एक फोटोप्रति मुखत्यारनामा आम श्री महेंद्र सिंह के पक्ष में द्वारा श्री मलावा सिंह–प्यार सिंह–शारदा देवी–नरेश कुमारी व श्रीमती शकुंतलादेवी दिनांक 28.12.2021 तथा एक मूल प्रति अधिकार पत्र स्वयं के पक्ष में जारी द्वारा श्री महेंद्र सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह उर्फ राये सिंह निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुर घाड़ तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) प्रस्तुत किया जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। तत्पश्चात 02:55 पी.एम पर परिवादी के मोबाइल नंबर 9649912770 से आरोपी टीआर श्री गोपाल सिंह के मोबाइल नंबर 9929114228 पर कॉल लगवाकर वार्ता करवाई गई तथा होने वाली वार्ता को स्वयं के पास पूर्व से सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य संपन्न उक्त वार्ता में परिवादी द्वारा पूर्व में हुई वार्ता में "व्यवस्था" शब्द के क्रम में 40 की व्यवस्था नहीं होने व 20000 रुपये की व्यवस्था ही होने की बात कहने पर आरोपी द्वारा परिवादी को कहा गया कि तू आ तो सही, कुछ कर तो सही, फिर काम करेंगे। परिवादी ने वार्ता में कल मिलने का कहने पर आरोपी ने सहमति जाहिर की व बीकानेर पहुंचने पर कॉल करने के लिए कहा गया। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता अनुसार दिनांक 03.10.2022 को रिश्वत आदान प्रदान का तय होने से आरोपी के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, सानिवि, जिला खंड द्वितीय, बीकानेर के अधिकारियों को अवकाश होने के कारण जरिये दूरभाष निवेदन किया गया। परिवादी श्री नूर मोहम्मद व आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित टी.आर. के मध्य दिनांक 25.09.2022 को मोबाइल पर हुई वार्ता एवं रुबरु हुई वार्ता तथा दिनांक 02.10.2022 को मोबाइल पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय कंप्यूटर पर कनैक्ट करके रुबरु परिवादी नूर मोहम्मद के मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड वार्ता को सुन सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गई। तत्पश्चात् उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर एक पैन ड्राइव को सील किया गया व एक पैन ड्राईव अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुली अवस्था में रखा गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी को उचित निर्देश प्रदान कर सुविधानुसार रात्रि विश्राम हेतु चौकी से रवाना किया गया। वक्त 07:00 पी.एम पर कार्यालय अधिशासी अभियंता, सानिवि, जिला खंड द्वितीय, बीकानेर से श्री महेश सिंह पुत्र आनन्द सिंह, जाति राजपूत, उम्र 41 वर्ष निवासी प्लॉट 33, इंद्रप्रस्थनगर, करणीनगर के पास, बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक व श्री अशोक कुमार वर्मा पुत्र हरीलाल वर्मा जाति कुम्हार, उम्र 55 वर्ष निवासी मूंदड़ों की बगीची, सीताराम गेट के सामने, जस्सूसर गेट, बीकानेर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। दोनों कार्मिकों को दिनांक 03.10.2022 को प्रातः 09:00 एएम पर ब्यूरो पर उपस्थित होने हेतु पांबद कर रवाना किया गया।

दिनांक 03.10.2022 को वक्त 09:15 ए.एम पर परिवादी श्री नूर मोहम्मद व पूर्व से पाबंदशुदा श्री महेश सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए हैं जिन्हें कार्यालय हाजा में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। कुछ समय पश्चात श्री महेश सिह वरिष्ठ सहायक व श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक, सानिवि को ब्यूरो कार्यालय में बुलाए जाने का प्रायोजन बताया गया तथा ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनों कार्मिकों ने अपनी सहमति दी। इस पर दोनों गवाहों को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल करते हुए कार्यालय में उपस्थित परिवादी का दोनों स्वतंत्र गवाहों से आपसी परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहों को परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर श्री नूर मोहम्मद ने कार्यवाही हेतु रुबरु उपर्युक्त गवाहान के 500–500 रुपये के 40 नोट कुल 20000 रुपये भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किए जिनके नम्बर फर्द पेशकशी सुपुर्दगी नोट में अंकित किए गए जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948090
2.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948091
3.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948092
4.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948093
5.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948094
6.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948095
7.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948096
8.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948097
9.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948098
10.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948099
11.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948100
12.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948901
13.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948902
14.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948903
15.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948904
16.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948905
17.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948906
18.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948907
19.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948908
20.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948909
21.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948910
22.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7PL 948911
23.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113690
24.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113691
25.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113692
26.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113693
27.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113694
28.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113695
29.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113696
30.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113697
31.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113698
32.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113699
33.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113700
34.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113401
35.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113402

36.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113403
37.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113404
38.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113405
39.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113406
40.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9PM 113407

श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त कनिष्ठ सहायक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री नूर मोहम्मद की जामा तलाशी गवाह श्री अशोक कुमार वर्मा से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 20,000/- रूपये परिवादी के पहनी हुई शर्ट की ऊपरी सामने की बायीं जेब में श्री इमरान खान से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर ईशारा करे तथा यदि बाहर आकर ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री इमरान खान के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रसायनिक प्रतिकिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर मय कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर हिदायत की गई कि इस डिजीटल टेप रिकार्डर में आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित से रिश्वती लेन-देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकार्ड करें। तत्पश्चात 11:20 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वंतत्र गवाहान, परिवादी नूर मोहम्मद एवं श्री प्रेमाराम कानि. 218, मय ट्रैप सामग्री हमराह लेकर तथा श्री नरेंद्र कुमार हैड कानि. 87, राजवीर सिंह हैड कानि. 115, अनिल कुमार कानि. 186 श्री भगवान दास कानि. 134, हरीराम कानि. 210 जरिये निजी व सरकारी मोटरसाइकिलों से वास्ते ट्रैप कार्यवाही ब्यूरो चौकी से एमएन अस्पताल के लिए रवाना होकर हमराही सभी के एम.एन. अस्पताल बीकानेर के पास पंहुचे। आरोपी से संपर्क करने हेतु परिवादी श्री नूर मोहम्मद की उसके मोबाइल नंबर 9649912770 से आरोपी टीआर श्री गोपाल सिंह के मोबाइल नंबर 9929114228 पर रुबरु गवाहान कॉल करवाई गई तो आरोपी ने दो बार कॉल करने पर भी कॉल अटैंड नहीं किया व कुछ देर बाद आरोपी के मोबाइल नंबर से परिवादी के मोबाइल पर कॉल आई जिसे परिवादी ने स्पीकर ऑन करके अटैंड किया। उक्त दो बार की गई कॉल एवं आरोपी द्वारा परिवादी को की गई कॉल को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में श्री प्रेमाराम कानि. से चालू करवाकर मोबाइल रिंग एवं वार्ता को रिकॉर्ड करवाया गया। परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वार्ता अनुसार आरोपी 10-12 मिनट में एम.एन अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया। इस पर परिवादी को आरोपी से संपर्क करने के निर्देश दिए गए तथा रिश्वत लेन देन के बाद सिर पर हाथ फेरने का ईशारा, मिस कॉल दिया जाना संभव न होने की स्थिति में अपने कंधे से गमछे को उतारकर हाथ में लेने का ईशारा करने की भी समझाईश की गई। इस संबंध में गवाहान व ब्यूरो स्टाफ को भी अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी को एम.एन अस्पताल के सामने चाय की थड़ी पर आरोपी से संपर्क करने व उसके आने का इंतजार करने के लिए डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर रवाना किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहों को गोपनीयता रखते हुए परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेनदेन को देखने की हिदायत की गई। परिवादी के ईशारे के इंतजार में समस्त ट्रैप दल मुकीम हुए।

वक्त 12.02 पी.एम. पर एम.एन. हॉस्पीटल के सामने चाय की थड़ी पर मुकीमशुदा परिवादी श्री नूर मोहम्मद के पास एक स्लेटी कलर की मारूती ब्रेजा कार आकर रूकी जिसमें से एक व्यक्ति काले रंग की शर्ट व कीम कलर की पैंट पहने हुए उतरकर चाय की थड़ी से सिगरेट लेकर पीते हुए चाय की थड़ी पर बैठे परिवादी श्री नूर मोहम्मद के पास जाकर बैठकर बातचीत

करता हुआ दिखाई दिया। बातचीत के दौरान कुछ समय पश्चात परिवादी श्री नूर मोहम्मद ने ट्रेप का तय अनुसार अपना गमछा कंधे से उतारकर हाथ में लेने का ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाह, ब्यूरो स्टाफ श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल, श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल, श्री प्रेमाराम, श्री अनिल कुमार, श्री भगवानदास, श्री हरिराम कानिस्टेबलगण के अविलम्ब चाय की थड़ी पर पहुंचा, परिवादी श्री नूर मोहम्मद से डिजिटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री नूर मोहम्मद ने अपने पास बैठे व्यक्ति को गोपाल सिंह टी.आर. रामगढ़ होना बताते हुए बताया कि गोपाल सिंह जी ने मेरे से खातेदारी दिलवाने की एवज में 20000/–रूपये रिश्वत के लेकर गिनकर अपने पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखे हैं। इस पर परिवादी के बताये अनुसार श्री गोपाल सिंह टी.आर. को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए परिचय पूछा तो अपना नाम श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री केशरी सिंह, निवासी मकान नंबर ए–161 करणी नगर बीकानेर हाल उपनिवेशन पटवारी अतिरिक्त चार्ज टी.आर.ए. उपनिवेशन तहसील रामगढ़–2, जिला जैसलमेर होना बताया। इसी दौरान हमराही दोनों स्वतंत्र गवाहान ने बताया कि अभी यहां चाय की थड़ी के पास से हम परिवादी पर नजर रखे हुए थे, परिवादी श्री नूर मोहम्मद से इन्होंने (आरोपी) रूपये लेकर गिनकर अपने पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखे हैं। आरोपी की शर्ट की ऊपरी सामने की बांयी जेब में 500–500 रूपये के नोट दिखाई दे रहे थे। परिवादी ने बताया कि यही राशि मेरे से अभी गोपाल जी ने खातेदारी दिलवाने की एवज में रिश्वत की ली है। मौके पर आम सड़क व भीड़ भाड़ होने से तथा ट्रेप की आगामी कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होने से आरोपी गोपाल सिंह का बांया हाथ श्री भगवान दास कानिस्टेबल से व दाहिना हाथ श्री हरिराम कानिस्टेबल से कलाईयों से ऊपर पकड़वाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपी गोपाल सिंह को उपरोक्तानुसार हाथ पकड़वाये हुए दोनों कानिस्टेबल सहित निजी वाहन से तथा श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक मय परिवादी श्री नूर मोहम्मद के तथा शेष ब्यूरो स्टाफ जरिए मोटरसाईकिल व कानिस्टेबल श्री प्रेमाराम निर्देशानुसार आरोपी की ब्रेजा कार नंबर आरजे 07 सीडी 7706 को हमराह लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु मौका से रवाना होकर वक्त 12:30 पीएम पर पुलिस थाना सदर बीकानेर पहुंचा। आरोपी के आवासीय मकान की खाना तलाशी करवाने हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिए दूरभाष निवेदन किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित उपनिवेशन पटवारी अतिरिक्त चार्ज टी.आर.ए. उपनिवेशन तहसील रामगढ़ 2, जिला जैसलमेर से परिवादी श्री नूर मोहम्मद से रिश्वत राशि किस बाबत लेने का पूछने पर आरोपी गोपाल सिंह ने बताया कि नूर मोहम्मद सात–आठ दिन पहले अपनी औरत को दिखाने एम एन हॉस्पीटल बीकानेर आया था, तब नूर मोहम्मद ने मुझे मोबाईल कॉल करके एमएन हॉस्पीटल बुलाया था तथा मुझे कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, ईलाज के लिए 25 हजार रूपये मेरे से उधार मांगे थे, मैं नूर मोहम्मद को जानता हूं, यह रामगढ़ में खेती करता है, मेरे पास वहां आता जाता रहता था। इसलिए उस दिन मेरे से 20 हजार रूपये की व्यवस्था हुई थी, जो मैंने नूर मोहम्मद को दिये थे, नूर मोहम्मद ने कहा कि मैं अगली बार जब बीकानेर आऊंगा तो आपको वापिस दे दूंगा। मैंने नूर मोहम्मद से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, मेरे पास इसका कोई काम नहीं है। इसने अभी मुझे मेरे उधारी के बीस हजार रूपये वापिस दिये हैं, जो मेरी शर्ट की जेब में हैं। आज सुबह थोड़ी देर पहले नूर मोहम्मद ने मुझे मोबाईल कॉल करके कहा था कि मैं एम.एन. हॉस्पीटल आ गया हूं, मैं जब एम.एन अस्पताल पहुंचा तब ये चाय की थड़ी पर बैठा था, मैंने मेरे उधारी के पैसे इससे लिये हैं। मौके पर मौजूदा परिवादी श्री नूर मोहम्मद ने स्वतः ही बताया कि श्री गोपाल सिंह टीआरए साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरी इनसे पूर्व से कोई जान पहचान नही है, टीआरए साहब ने खातेदारी का प्रस्ताव हैड ऑफिस में जमा करवाकर खातेदारी दिलवाने के बदले में 40 हजार रूपये रिश्वत के मांगे थे, मैंने महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह उर्फ राय सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुरधाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से जरिए ईकरारनामा मुरब्बा संख्या 147/06 चक नं. 8–10 टीएनडी, रामगढ़–2, जिला जैसलमेर से खरीद की हुई है, परन्तु श्री महेन्द्र सिंह व अन्य वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने से मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं हो सकती, महेन्द्र सिंह व अन्य वारिसान के नाम से खातेदारी अधिकार का आवेदन मैंने उपनिवेशन तहसील रामगढ़–2, जैसलमेर में दिये थे, फिर मेरा इनसे उपनिवेशन तहसील कार्यालय रामगढ–2 में सम्पर्क हुआ तो इन्होने मुझे कहा कि मैं आपको सात दिन बाद बाई हैंड खातेदारी दिलवा दूंगा, जिसके 40 हजार रूपये लगेंगें। मैंने महेन्द्र सिंह के नाम से खातेदारी का प्रस्ताव निर्धारित प्रफोर्मा में संबंधित पटवारी श्री कन्हैयालाल उपनिवेशन तहसील रामगढ़ 2 से रिपोर्ट करवाकर उनके बताए अनुसार मूल कागजात दिनांक 21.09.2022 को श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित जी को दिये थे, उस दिन भी मैंने हमारे बीच हुई बातचीत को मेरे मोबाईल में रिकॉर्ड किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं अलग से पेश कर दूंगा। मैंने गोपाल सिंह जी से कोई रूपये उधार नहीं लिये थे, इन्होंने मेरे से 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी,

दिनांक 25.09.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के दौरान मैं इनसे गंगानगर चौराहे पर मिला था, तब भी इन्होंने मेरे से मेरे उक्त कार्य की एवज में 40 हजार रूपये पूर्व मांग अनुसार व्यवस्था करने का कहा था। कल दिनांक 02.10.2022 को मोबाईल वार्ता में मैंने 20 हजार रूपये की व्यवस्था की बातचीत की थी, तब इन्होंने कहा कि तूं आकर कुछ कर तो सही फिर करवायेंगें और कहा कि काम मुझे ही करवाना है, तूं आ जा, मैं अपने आप ही करवा दूंगा, तूझे साहब से थोड़ी ना करनी है बात। इस पर आरोपी गोपाल सिंह से पुनः पूछने पर अपने पूर्वानुसार ही कथन दोहराये। रिश्वत राशि लेन–देन की ताईद होने पर दो साफ कांच के गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाये जाकर साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल बनाया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। फिर रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री गोपाल सिंह के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आर–1 व आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी गोपाल सिंह के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी श्री गोपाल सिंह ने अपने पहनी हुई शर्ट की ऊपरी सामने की बांयी जेब से 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई निकालकर पेश की, जो गवाह श्री महेश सिंह को दिलवाकर गिनवाये गये तो गवाह ने 500–500 के 40 नोट कुल राशि 20000/–रूपये होना बताये। दोनों गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट से नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नंबर हूबहू पाये गये। नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर सफेद कपड़े के साथ सीलचिट कर कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री गोपाल सिंह के पहनने हेतु एक टी–शर्ट की व्यवस्था करवाकर पहनी हुई शर्ट को उतरवाया गया। फिर पूर्वानुसार एक अन्य साफ कांच के गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाया जाकर, साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल बनाया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। इस रंगहीन घोल के गिलास में रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी की शर्ट की जेब को उल्टवाकर धोवन लिया गया, तो धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क एस–1, एस–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शर्ट की जेब को सुखाकर शर्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी के कथनानुसार एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपी के पास परिवादी से संबंधित महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह उर्फ रायसिंह के नाम से खातेदारी संबंधित प्रस्ताव संबंधी कार्य लंबित होना जाहिर होता है। इस संबंध में आरोपी श्री गोपाल सिंह से परिवादी के कार्य संबंधी कागजात के संबंध में पूछने पर बताया कि नूर मोहम्मद ने मुझे खातेदारी के संबंध में कोई कागजात नहीं दिये हैं और ना ही नूर मोहम्मद तथा महेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह का मेरे पास कोई कागजात पैंडिग है। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूतो को सीलमोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री गोपालसिंह राजपुरोहित उपनिवेशन पटवारी अतिरिक्त चार्ज टी.आर.ए उपनिवेशन तहसील रामगढ 2 जिला जैसलमेर हाल निवासी मकान नम्बर ए–161 करणी नगर बीकानेर को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। आरोपी श्री गोपालसिंह राजपुरोहित की कार ब्रेजा नम्बर आरजे 07 सीडी 7706 की तलाशी रूबरू गवाहान, आरोपी गोपालसिंह राजपुरोहित के ली जाकर विस्तृत फर्द तलाशी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात श्री भगवानदास कानिस्टेबल 134 श्री हरिराम कानिस्टेल 210 को मय तहरीर आरोपी गोपालसिंह को सुपुर्द कर स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु पुलिस थाना सदर के वाहन से रवाना किया गया। मौका की सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों गवाहान, परिवादी नूर मोहम्मद एवं शेष ब्यूरो स्टाफ के ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा वजह सबूत हमराह लेकर जरिये निजि कार, मोटर साईकिलो से पुलिस थाना सदर बीकानेर से ब्यूरो चौकी बीकानेर के लिए रवाना होकर वक्त 05:50 पी.एम. पर हाजिर चौकी आया। वजह सबूत श्री बजरंगसिंह हैड कानि के जरिये सुरक्षित मालखाना जमा करवाया गया। श्री भगवान दास कानि, हरिराम कानि मय आरोपी गोपालसिंह के बाद स्वास्थ्य परीक्षण हाजिर चौकी आये। रिश्वत लेन देन वार्ता के डिजीटल टेप रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर पर कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर रिकार्ड वार्ता को दो पैन ड्राईव में डालकर एक पैन ड्राईव को सीलमोहर किया गया तथा एक पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुली अवस्था में रखा गया। आरोपी को थाना सदर की हवालात में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। सबूतों को सील मोहर करने में

प्रयुक्त की गई पीतल की सील को अनुपयोगी कर नष्ट किया जाकर फर्द नष्टीकरण पीतल की सील मुर्तिब की गई। आरोपी गोपालसिंह को दिनांक 04.10.2022 को माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्रदान करने पर आरोपी गोपालसिंह को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई ।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया है कि आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री केसरी सिंह, निवासी मकान नंबर ए–161, करणी नगर बीकानेर हाल उपनिवेशन पटवारी अतिरिक्त चार्ज टी.आर.ए. उपनिवेशन तहसील रामगढ़–2, जिला जैसलमेर द्वारा परिवादी श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री अल्लादिता, जाति मुसलमान, उम्र 42 वर्ष, निवासी हिश्यामकी (12एच), अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर से उसके द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह उर्फ राय सिंह, निवासी गांव व डाकघर सिद्धपुरधाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जरिये ईकरारनामा मुरब्बा संख्या 147/06 चक नं. 8–10 टीएनडी, रामगढ़–2, जिला जैसलमेर खरीद की हुई भूमि का खातेदारी प्रस्ताव उपनिवेशन तहसील रामगढ–2 से मुख्य कार्यालय बीकानेर भिजवाने एवं बाईहैन्ड खातेदारी देने की एवज में आरोपी द्वारा 40000/–रूपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा 20000 हजार रूपये की ही व्यवस्था होने की वार्ता करने पर आरोपी गोपालसिंह द्वारा परिवादी को कहा गया कि "तूं आकर कुछ कर तो सही फिर करवायेंगें" और कहा कि काम "मुझे ही करवाना है, जब तूं आ जा, मैं अपने आप ही करवा दूंगा, तूझे साहब से थोड़ी ना करनी है बात।" उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी को सम्पर्क करने एवं दिनांक 03.10.2022 को बीकानेर में मिलना तय करने पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान के दिनांक 03.10.2022 को 20000/–रूपये की राशि पर ट्रेप का आयोजन किया गया। आरोपी गोपाल सिंह राजपुरोहित को परिवादी श्री नूर मोहम्मद से 20000/– रूपये रिश्वती राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया। रिश्वती राशि आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब से बरामद हुई। श्री गोपालसिंह उपनिवेशन पटवारी के विरूद्ध ब्यूरो में पूर्व में प्रकरण संख्या 99/2012 अन्तर्गत धारा 7, 13(1) डी, 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं 120 बी भादसं के तहत दर्ज हुआ जिसमें माननीय सेशन न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर द्वारा दिनांक 24.06.2022 को निर्णय सुनाया जाकर आरोपी गोपालसिंह को धारा 7, 13(1) डी, 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दोषसिद्ध किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री केशरी सिंह, उम्र 51 वर्ष, निवासी ए–161, करणीनगर, बीकानेर हाल उपनिवेशन पटवारी (सहायक ऑफिस कानूनगो) कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार, तहसील रामगढ–2, जिला जैसलमेर का कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 14 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी गोपाल सिंह राजपुरोहित के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते पंजीयन एवं कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 14 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित, हाल उपनिवेशन पटवारी (सहायक ऑफिस कानूनगो), उपनिवेशन तहसील रामगढ़-2, जिला जैसलमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 394/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियां रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांक: 3435-39 दिनांक: 04.10.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर, राजस्थान।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

4.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।